\

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 92/2015

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री मनोज गोपलानी पुत्र श्री थांवरदास गोपलानी मैसर्स लक्की जूस सेन्टर, आर्यसमाज मन्दिर के पास, सिटी रोड़, किशनगढ़।
2. मैसर्स लक्की जूस सेन्टर, आर्यसमाज मन्दिर के पास, सिटी रोड़, किशनगढ़।

.......*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 52 के तहत

उपस्थित :– अप्रार्थी स्वंय।

–: आदेश :–

दिनांक– 05.08.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्डर्ड आईस्क्रीम फोजन डेजर्ट (मिडियम फेट) विकय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (।) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.05.2015 को 03.00 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स लक्की जूस सेन्टर, आर्यसमाज मन्दिर के पास, सिटी रोड़, किशनगढ़ पर पहूँचे श्री मनोज गोपलानी पुत्र श्री थांवरदास गोपलानी मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को आईस्कीम फ्रोजन डेजर्ट (मिडियम फेट) का विकय कर रहे थे। मौके पर डीफ्रिज में 2 किलोग्राम वजनी आईसक्रीम रखी हुई थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान आईस्कीम फ्रोजन डेजर्ट (मिडियम फेट) में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 1200 ग्राम (300 ग्रामX4 भाग) आईस्कीम फ्रोजन डेजर्ट (मिडियम फेट) वास्ते नमूना जॉच हेतु 138/– रूपयें श्री मनोज गोपलानी को नगद देकर गवाह श्री अजय मोयल तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष कय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री मनोज गोपलानी पुत्र श्री थांवरदास गोपलानी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा आईस्कीम फ्रोजन डेजर्ट (मिडियम फेट) को एक रूप कर चार खाली जार में बराबर बराबर डालने एवं प्रत्येक जार में परिरक्षक फार्मलीन की 36–36 बून्द डालकर शिशियों को ढक्कन लगाकर बंद करने व लेबल पर डीओ के कोड कमांक ए–1015 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र कमांक एफएसएसए/2015/8161 दिनांक 10.07.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/362/एफएसएसए/2015/379 दिनांक 03.07.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विकय किया गया आईस्कीम फ्रोजन डेजर्ट (मिडियम फेट) मिसबाण्ड होना पाई गई। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 28.12.2015 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 28.12.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री मनोज गोपलानी पुत्र श्री थांवरदास गोपलानी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 05.08.2016 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 05.08.2016 को अप्रार्थी श्री मनोज गोपलानी स्वंय उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थी ने उन पर लगाये गये आरोपो को स्वीकार करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन आधारहीन एवं बेबुनियाद है। प्रार्थी द्वारा आइसक्रीम का जो नमूना लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा आईस्कीम फ्रोजन डेजर्ट (मिडियम फेट) का विक्रय एवं विपणन किया जाता है। आइसक्रीम की क्वालिटी उत्तम किस्म की है। पैकिंग पर इसमें मिलने वाले सभी घटक तत्वों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

कथन किया कि नये नियमों के अनुसार हमारे द्वारा विक्रय किये जा रहे प्रोडक्ट में खाद्य या रंगो का नाम या संख्या का भी उल्लेख होना चाहिये। भविष्य में हमारी पैकिंग में इसका भी उल्लेख आवश्यक रूप से किया जायेगा।

चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। इस आशय का शपथ–पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री श्री मनोज गोपलानी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री श्री मनोज गोपलानी को रु. 5000/–(अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 05.08.2016 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 05.08.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2016/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2– अभिहित अधिकारी एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

3– श्री मनोज गोपलानी पुत्र श्री थांवरदास गोपलानी मैसर्स लक्की जूस सेन्टर, आर्यसमाज मन्दिर के पास, सिटी रोड़, किशनगढ़।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner